



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक

/12-1

देहरादून,

दिनांक

26

अप्रैल, 2023.

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
मालसी रेंज।

विषय:-

जनपद देहरादून के जमोलीवाला-सिगली टी प्वाइंट से भितारली ग्राम पंचायत तक मोटर मार्ग के किनारे पौले विधि द्वारा ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाये जाने हेतु 0.114 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु दूरसंचार निगम लि0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

उप महाप्रबन्धक, कार्यालय महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला देहरादून का पत्रांक-DE/DDN/NOFN/ADSS OFC/2021-22/45 दिनांक-11.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद देहरादून के जमोलीवाला-सिगली टी प्वाइंट से भितारली ग्राम पंचायत तक मोटर मार्ग के किनारे पौले विधि द्वारा ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाये जाने हेतु 0.114 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु दूरसंचार निगम लि0 को सैद्धान्तिक स्वीकृति के फलस्वरूपक कार्यदायी संस्था द्वारा वांछित धनराशि जमा करने पश्चात् "भारत सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक-11-306/2014-एफ0सी0 दिनांक-07.05.2015 के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 की पत्र संख्या-941/x-4-18/I-05(04)/2014 दिनांक-26.09.2018 के द्वारा बिन्दु संख्या-2 एवं 3 में दिये गये निर्देशों के क्रम में रेखीय परियोजनाओं (Linear Projects) के अन्तर्गत वृक्षों के छपान, कटान तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

चूकि उक्त परियोजना एक रेखीय परियोजना (Linear Projects) है, तथा कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः कार्यदायी संस्था के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा विधिवत स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था को इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:- 3498/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस आदेश को वन विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. मंडल अभियन्ता (ट्रांस), कार्या0 महाप्रबन्धक, दूरसंचार जिला देहरादून को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की आप वन क्षेत्राधिकारी मालसी से सम्पर्क करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

27.4.2023